जिला दण्डाधिकारी – सह– उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा
(जिला विधि शाखा)

कार्यालय आदेश।

जामताड़ा जिलान्तर्गत विभिन्न संस्थान/ कार्यालय से कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–6(1) के तहत् लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतो की जाँच एवं निष्पादन के लिए अधिनियम की धारा–7 सहपठित धारा–5 एवं समाज कल्याण, महिला एवं वाल विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–स0क0/म0यौ0उ0–148/2010–438 दिनांक– 25.02.2014 के आलोक में स्थानीय शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

01. डॉ0 मंजुला मुर्मू– अध्यक्ष।
02. श्रीमती प्रीतिलता किस्कु– अनु0जाति/जनजाति सदस्य।
03. श्रीमती आशा राठौर– गैर सरकारी संगठन सदस्य।
04. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा– पदेन सदस्य।

स्थानीय शिकायत समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम , 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर विधिवत् जाँच कर प्रतिवेदन निर्धारित समय के अंदर सक्षम प्राधिकार को सौपेंगी।

26/4/2018
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 150 वि0शा0 दिनांक 26.4.18
प्रतिलिपि :– डॉ0 मंजुला मुर्मू, वरीय महिला चिकित्सक, सदर अस्पताल, जामताड़ा/ श्रीमती प्रीतिलता किस्कु, अंचल अधिकारी, जामताड़ा/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जामताड़ा/ श्रीमती आशा राठौर, बदलाव फाउण्डेशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/2018
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक 150/वि0शा0 दिनांक 26.4.18
प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि सूचनापटट् पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

26/4/2018
उपायुक्त,
जामताड़ा।

Scanned by CamScanner